

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्ठाहार अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 25 मई, 2022

विषय:- अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक पुष्ठाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाले पोषाहार (के0-50%/रा0-50%-के0+रा0) में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-88/बा0वि0परि0/लेखा/2022-23, दिनांक 09 मई, 2022 के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-39/2022/1123/001-54-2002-003-3-2021, दिनांक 23 मई, 2022 द्वारा अनुदान संख्या-83 के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुष्ठाहार कार्यक्रम अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले पोषाहार के लिए मानक मद-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखानुदान के अनुसार प्रथम चार माह हेतु उपलब्ध राज्यांश रु0 13232.66 लाख (रु0 एक अरब बत्तीस करोड़ बत्तीस लाख छ्वाछठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त निर्गत शासनादेश दिनांक 23 मई, 2022 में त्रुटिपूर्ण लेखाशीर्षक "2235027890101" अंकित हो गया है, जबकि सही लेखाशीर्षक "2235027898901" है।

अतः उक्त शासनादेश संख्या-39/2022/1123/001-54-2002-003-3-2021, दिनांक 23 मई, 2022 निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुष्ठाहार कार्यक्रम अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले पोषाहार के लिए मानक मद-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-18/2022/577/58-1-22-2/3(3)/12, दिनांक 30 मार्च, 2022 द्वारा केन्द्रांश रु0 39080.19 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त के सापेक्ष अवशेष राज्यांश रु0 39080.19 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या-83 के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुष्ठाहार कार्यक्रम अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले पोषाहार के लिए मानक मद-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखानुदान के अनुसार प्रथम चार माह हेतु उपलब्ध राज्यांश रु0 13232.66 लाख (रु0 एक अरब बत्तीस करोड़ बत्तीस लाख छ्वाछठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।
- (3) उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।
- (4) केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।
- (5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- (6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।
- (7) वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
- (8) यह धनराशि प्राप्त परिव्यय की सीमा में ही समाहित होगी। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ उत्तरदायी होंगे।
- (9) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बंध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत किये जायें, ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई न हो।
- (10) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय। योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देश/गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने पर किया जायेगा।
- (12) स्वीकृत धनराशि के व्यय की फेजिंग कर ली जाय और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों पर ही एस0सी0एस0पी0 की गाइडलाइन्स के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(13) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2021, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,32,32,66,000 (रुपये एक अरब बत्तीस करोड़ बत्तीस लाख छियासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2235027898901** पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार **मानक मद 42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-4-12-X-2022-23, दिनांक 25 मई, 2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

संयुक्त सचिव।

संख्या-40 /2022/1321(1)/003-54-2002-003-3-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।